हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2001

संख्या सा० का० नि० 2/ह० अ० 15/1979/धा० 4, 5 तथा 16/2001.— चूंकि हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्या 15) तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में अंशदायी भविष्य-निधि की परिकल्पना की गई है जिसमें निजी प्रबन्ध वाली, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों विहित अनुपात में अंशदान करने के लिए अपेक्षित है। निजी प्रबन्ध वाले, सहायता-प्राप्त महाविद्यालयों के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारी अपनी अधिवार्षिता के समय, उक्त नियम के नियम 23 तथा 24 के अन्तर्गत, सरकार द्वारा समय समय पर यथा नियत दर से उपदान के अतिरिक्त इस प्रकार जमा अंशदायी भविष्य निधि तथा उस पर अर्जित ब्याज की राशि की अदायगी के लिए पात्र हैं। इस समय उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत इन संस्थाओं के सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन देने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है।

और चूंकि निजी प्रबन्ध वाली, सरकारी सहायता–प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारी अपने लियें पेंशन स्कीम लागू करने हेतु सरकार को प्रतिवेदन दे रहे हैं ताकि वे बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकें।

और चूंकि सरकार, इस तथ्य के प्रति सजग रहते हुये कि राज्य की सरकारी, शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों तथा निजी प्रबन्ध वाली सहायता प्राप्त संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों में समानता नहीं हो सकती। किन्तु निजी प्रबन्ध वाली सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रही है। सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारी सेवा शर्तों के एक समुच्चय (सैट आफ रूल) से शासित हैं, जो उन सेवा शर्तों से भिन्न हैं जिनसे सरकारी कर्मचारी शासित होते हैं। उनके पद अहस्तान्तरणीय हैं तथा वे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होते हैं जबकि सरकारी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवा निवृत होते हैं और जो राज्य में कहीं भी स्थानान्तरित होते हैं।

और चूंकि, सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं के मामले में नियोक्ता, सरकारी शिक्षण संस्थाओं के मामले में नियोक्ता से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं के मामले में प्रबन्ध समितियों का पृथक तथा स्वातन्त्र्य रूप से वैधानिक अस्तित्व होता है जो अपनी-अपनी संस्थाओं के सम्बन्ध में निर्णय लेती हैं। सरकार,

उनके घाटे का 95 प्रतिशत की सीमा तक केवल स्वीकृत पदों को सहायता अनुदान जारी करने की, सीमित तथा सुसाध्य भूमिका अदा करती है। सरकार द्वारा निश्चित संख्या के पदों के लिये सहायता अनुदान दिये जाने के पीछे एक मात्र उद्देश्य, इन निजी संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के प्रबन्ध तथा उन्हें चलाने में हस्तक्षेप किये बिना हरियाणा राज्य में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना है।

और चूंकि, सरकार इस तथ्य के प्रति सचेत है कि सरकार सहायता-प्राप्त निजी संस्थाएं जो अनुदान प्राप्त करती हैं, के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों हेतु पेंशन स्कीम आश्वयक रूप से आरम्भ करने के लिये बाध्य नहीं हैं। तथापि, निजी प्रबन्ध वाली सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वर्तमान सेवा शर्तों में सुधार करने की इच्छा से सरकार ने उनके लिये एक विशेष पेंशन स्कीम के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू पेंशन स्कीम से भिन्न है परन्तु इसके साथ ही इसके परिणामस्वरूप उन्हें बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ भी प्राप्त होंगे। सरकार, निजी संस्थाएं जो अनुदान प्राप्त करती हैं, के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों हेतु पेंशन स्कीम आरम्भ करने के कारण, स्पष्ट रूप से असीमित देयता का जिम्मा लेने तथा भारवहन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, सरकार राज्य की इन सभी संस्थाओं, जो अनुदान प्राप्त करती हैं, हेतु विशिष्ट स्कीम आरम्भ करने की इच्छुक है, जिससे राज्य सरकार पर हानिकारक वित्तीय देयता के बिना ऐसे सभी सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् वस्तुतः बेहतर लाभ मिल सकें। वास्तव में, जब पेंशन स्कीम की मांग उठाई गई थी तब कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों द्वारा सरकार को बताया गया था कि सरकार पर बिना किसी अतिरिक्त देयता के स्वयं वहनीय आधार पर निजी संस्थाएं जो अनुदान प्राप्त करती हैं, के सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों हेतु विशिष्ट पेंशन स्कीम तैयार की जा सकती है। संगठनों का तर्क था कि ऐसी पेंशन स्कीम आरम्भ किये जाने के कारण सृजित सभी भावी मांगों को पूरा करने हेतु अंशदायी भविष्य निधि में उपलब्ध नियोक्ता का हिस्सा पूर्ण रूप से पर्याप्त है। सरकार ने इस पहलू की जांच की है तथा सरकार के ध्यान में आया है कि संगमों का तर्क पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। हरियाणा की निजी प्रबन्ध वाली सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये अंशदायी भविष्य-निधि (नियोक्ता के हिस्से) के बदले में विशिष्ट पेंशन स्कीम आरम्भ करने के कारण वास्तव में सरकार अतिरिक्त वित्तीय देयता हो सकती है। तथापि, सरकार वित्तीय देयता, यदि कोई इस लेखे में है, को कम से कम करने में रूचि ले रही है। सरकार सम्यक, अनुक्रम समय में एक स्कीम भी तैयार कर रही है जिसके द्वारा अंशदायी भविष्य निधी का नियोजक के हिस्से के मद्दे निधियों की आय ऐसे रूप में हो जो पात्र कर्मचारियों को सेवा निवृत लाभांशों के भुगतान के लिए पूर्ण रूप से या सम्पूर्ण रूप से अधिकतम हो।

और चूंकि इस विशेष पेंशन स्कीम के अन्तर्गत परिकल्पित दो मुख्य अन्तर हैं,—पेंशन रूपान्तरण तथा अवकाश नकदीकरण के लाभ। सम्बन्धित सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों द्वारा सहमति हो गई कि उन्हें पेंशन रूपान्तरण तथा अवकाश नकदीकरण इन दो लाभों के रूप में न दिया जाये यदि ये दोनों लाभ दिये जाते हैं तो इन से राज्य सरकार हानिकारक वित्तीय देयता के परिणाम हो सकते हैं, जो सरकार वहन नहीं कर सकती। इसलिए सरकार, विशेष संकेत के तौर पर, उनके द्वारा हरियाणा सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे निजी महाविद्यालयों, के सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये यह विशेष पेंशन स्कीम इस शर्त के अधीन रहते हुये बनाती है कि उन्हें इस स्कीम के अन्तर्गत पेंशन रूपान्तरण तथा अवकाश नकदीकरण के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे। यदि यह स्कीम किसी ऐसी अन्य स्कीम से भिन्न है जो हरियाणा राज्य में अथवा उससे बाहर किसी अन्य सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में विद्यमान है तो सरकार, राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत स्कीम के पुनर्विलोकन या उपान्तरण करने के अधिकार को भी अपने पास रखती है।

'हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 1979 (1979 का अधिनियम 15) की धारा 4 तथा 5 तथा धारा 16 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सम्बद्ध सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य–निधि) नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य–निधि) संशोधन नियम, 2001 कहे जा सकते है।

(2) ये मई, 1998, के 11 वें दिन से लागू हुए समझे जाएँगे।

2. हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि) नियम, 1999 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,—

अ. विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (कक) से पहले, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "सहायता प्राप्त महाविद्यालय" से अभिप्राय है, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा से सम्यक रूप से स्वीकृत पदों के विरुद्ध सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे महाविद्यालय ;';

आ. खण्ड (च) का लोप कर दिया जाएगा ।

इ. खण्ड (झ) में, "सहित" शब्द के स्थान पर, "को छोड़कर" शब्द रखे जाएगे ।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा अर्थात् :—

(4) नियोजक के अंश की राशि की वापसी का उत्तरदायित्व धारा 4 तथा 16

"मई, 1998 के 11 वें दिन से इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक सेवा निवृत कर्मचारियों में से दो ऐसे जो इन नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प देते है कि वे नियोजक के हिस्से की पूर्ण राशि ब्याज सहित जो सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी द्वारा वास्तविक रुप से निकलवाई गई थी, जो निकलवाने की तिथि से सरकार के पास जमा करवाने की तिथि तक संगणित की जाने वाली उक्त राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज जमा करवाने के लिये अपेक्षित होंगें ।'"

4. उक्त नियमों में, नियम–6 में,—

(i) खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ii) साठ वष की अधिवार्षिता आयु प्राप्त करने तक की गई सेवा ;";

(ii) खण्ड IV के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(iv) उसी प्रबन्धन के अधीन सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे एक अथवा इससे अधिक प्राईवेट सम्बद्ध महाविद्यालयों में की गई सेवा ;

(v) हरियाणा राज्य में किसी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर की गई सेवा :

परन्तु कर्मचारी सहायता प्राप्त पद पर उचित माध्यम से नियुक्त किया गया हो तथा निदेशक से लगातार सेवा का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो :

परन्तु यह और कि पूर्व महाविद्यालय से कर्मचारी का अंशदायी भविष्य भविष्य निधि लेखा पश्चातवर्ती महाविद्यालय में उसी प्रकार जारी रहेगा जिसमें वह स्थानान्तरित या नियुक्त किया गया है तथा जहां सरकार द्वारा समय–समय पर यथा रुपान्तरित सेवा में या सेवा शर्तों में विराम नहीं है ।" ।

5. उक्त नियमों में, नियम 9 में,—

(i) उप नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"1. सभी कर्मचारी, उस तिथि से जिसको वे साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, अधिवार्षिता पेंशन के हकदार होंगे ;

(ii) उप नियम (3) को उपनियम (2) के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 14 में.—(i) खण्ड (v) में, प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात्:—

"सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, उसकी मृत्यु के समय पर उपदान निम्नलिखित के अधीन रहते हुए होगा :—

(1) एक वर्ष से कम सेवा	..	लिये गये अन्तिम वेतन के दो गुणा ;
(2) एक वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक	..	छह गुणा
(3) पांच वर्ष से अधिक किन्तु चौबीस वर्ष से अनधिक	..	बारह गुणा
(4) चौबीस वर्ष से अधिक	..	जी० डी० सी० आर० मृतक द्वारा की गई वास्तविक सेवा के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।" ;

(ii) खण्ड (v) के बाद निम्नलिखित खण्ड तथा उसके नीचे अन्त में व्याख्या जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:—

"(vi) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, 95 प्रतिशत उपदान की राशि सरकार द्वारा तथा पांच प्रतिशत राशि प्रबन्धन द्वारा वहन की जायेगी। प्रबन्धन निदेशक द्वारा जारी किये गये प्राधिकृत पत्र के आधार पर सेवा निवृत्त को उपदान की कुल राशि का भुगतान करेगा तथा सरकार से उक्त राशि के 95 प्रतिशत का दावा करेगा।"।

व्याख्या :—इस प्रयोजन के लिये "परिलाभ" शब्द में शामिल है, वेतन + महंगाई भत्ता ।"।

7. उक्त नियमों में, नियम 15 में, उप नियम (3) में, पैरा (2) में, "नहीं" शब्द को लोप कर दिया जायेगा ।

8. उक्त नियमों में, नियम 16 में, उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(2) कर्मचारियों का अंशदायी भविष्य निधि का हिस्सा, विद्यमान पालिसी तथा निदेशक द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार, महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रखा जायेगा ।"।

9. उक्त नियमों में, नियम 17 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(1) प्रति वर्ष अर्जित ब्याज सहित अंशदायी भविष्य निधि का नियोजक का हिस्सा निदेशक को अन्तरित किया जायेगा ।"।

10. उक्त नियमों में, नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"18 खाते का रख-रखाव धारा 4 तथा 16.—

(1) शीर्ष "0071—कानट्रिब्यूशन एंड रिकवरीस टूवॉर्ड्ज पेंशन एण्ड अदर रिटायरमेंट बेनिफिटस—01—सिविल—101—सब्सक्रीप्शन एण्ड कन्ट्रीब्यूशन इम्पलायर शेयर आफ सी० पी० एफ० आफ एडिड कालेजिज ।

(2) उप नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट शीर्ष में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—

(क) इन नियमों के लागू होने की तिथि तक सहायता अनुदान के रूप में दिये गये सरकार के हिस्से सहित नियोजक के हिस्से की राशि जो अंशदायी भविष्य-निधि लेखे में है ;

(ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि को या उसके बाद अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय किये गये नियोजक के हिस्से का पांच प्रतिशत ;

(ग) इन नियमों के लागू होने की तिथि को या उससे पहले सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में भुगतान की जा रही अंशदायी भविष्य–निधि में सरकार के हिस्से की पचानवें प्रतिशत राशि ;

(घ) उपरोक्त विनिर्दिष्ट राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि ;

(ङ) अन्य कोई राशि जो सरकार द्वारा विशेषतया इस लेखा शीर्ष में भुगतान की जाये ।

(3) सरकार सेवा निवृत्तिकों को पेंशन का भुगतान करने के लिये "2202 —जनरल— एजुकेशन—03— युनिवर्सिटी— एण्ड–अदर — हायर एजुकेशन—104—असिस्टैन्टस टू नान गवर्नमेंट कालेजिज एण्ड इन्सटीचुशनज रिटायरल बैनिफिटस" शीर्ष के अधीन वार्षिक बजट में समुचित उपबन्ध करेगी ।

(4) लेखा शीर्ष में जमा निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :—

प्रबन्ध मण्डल द्वारा भुगतान योग्य अंशदायी भविष्य–निधि में कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत का पांच प्रतिशत,

इसी प्रकार लेखा शीर्ष में जमा करने के लिये गैर सरकारी सम्बद्ध महाविद्यालयों को स्वीकृत सहायता अनुदान से भी कटौती की जायेगी ताकि प्रबन्ध मंडल से वसूली के लिये कोई राशि बकाया न रहे ; और

(5) उपनियम (4) के प्रयोजन के लिये प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में इन नियमों के अधीन सेवा निवृत्ति लाभाशों के रूप में प्रबन्ध मंडल का अंशदायी भविष्य निधि में हिस्सा, सहायता अनुदान में से काट लिया जायेगा ।

11. उक्त नियमों में, नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जायेंगे, अर्थात्:—

"20 कक्ष की स्थापना ।

धारा 4 तथा 16.—

(1) निदेशक के कार्यालय में एक पूर्ण रूप से एक अलग कक्ष की स्थापना की जायेगी जो इन नियमों से सम्बन्धित पूर्ण लेखे तथा महा–विद्यालयवार संग्रहण की राशि का पूर्ण लेखा रखेगा ।

(2) महालेखाकार हरियाणा के कार्यालय में लेखा में जमा का मासिक मिलान किया जायेगा ताकि इसके लेखों में कोई विसंगतियां न रहें ।"।

12. उक्त नियमों में, नियम 21 में उपनियम (2) का लोप कर दिया जायेगा ।

13. उक्त नियमों में नियम 22, 23, 24 तथा 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जायेंगे, अर्थात्:—

"22. पेंशन के भुगतान का ढंग ।

धारा 4 तथा 16.—

इन नियमों के अधीन भुगतान प्रबन्धन के माध्यम से विभाग द्वारा पेंशन भुगतान आदेश तथा निदेशक द्वारा जारी किये गये प्राधिकृत पत्र के आधार पर किया जायेगा ।

23. सेवा निवृत्ति के भुगतान का ढंग ।

धारा 4 तथा 16.—

सेवा निवृत्त/मृतक कर्मचारी के परिवार को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर विभाग/प्रबन्धन के माध्यम से किया जायेगा । पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जो इन सहायता प्राप्त महा विद्यालयों के अमले के वेतन के लिये अपनाई जा रही है । इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अन्य सेवा निवृत्त लाभांश निदेशक द्वारा उन्हें स्वीकृत किये जाने के बाद सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारी/मृतक कर्मचारी के परिवार को भुगतान किये जायेंगे तथा इस प्रकार दी गई स्वीकृति की एक प्रति महा लेखाकार हरियाणा (लेखा तथा हकदारी) तथा सम्बद्ध सेवा निवृत्त कर्मचारी/मृतक कर्मचारी के परिवार को तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को तदनुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान के लिये भेजी जायेगी ।

24. खर्च का लेखा शीर्ष ।

धारा 4 तथा 16.—

इन नियमों के अधीन सभी भुगतान 2202—जनरल एजुकेशन—03—यूनिवर्सिटी एण्ड अदर हायर एजुकेशन—104—असिस्टैन्स टू नान गवर्नमेंट कालेजिज एण्ड इन्स्टीच्यूशनज रिटायरल बैनिफिटस" खर्च शीर्ष के अधीन किये जायेंगे ।

25. विकलम व्यय का लेखा शीर्ष ।

धारा 4 तथा 16.—

"2202—जनरल एजुकेशन—03—यूनिवर्सिटी एण्ड अदर हायर ऐजुकेशन —104—असिस्टैन्टस टू नान गवर्नमैंट कालेजिज एण्ड इन्स्टीचुशनज रिटायरल बैनिफिटस " शीर्ष के अधीन भुगतान की राशि महालेखाकार हरियाणा (लेखा परीक्षा तथा हकदारी) के कार्यालय में वास्तविक रूप में, विकलित तथा पुर्नमिलाप, प्रत्येक सेवा निवृत्ति लाभ के विरुद्ध अलग उपशीर्ष के अधीन की जा सकती है ।"।

14. उक्त नियमों में, नियम 27 तथा 28 का लोप कर दिया जायेगा ।

15. उक्त नियमों में, नियम 29 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"29. अन्तिम भुगतान के लिये आवेदन ।

धारा 4 तथा 16.—

अन्तिम भुगतान के लिये आवेदन निदेशक को किया जायेगा जो अन्तिम भुगतान के आदेश जारी करेगा ।"।

16. उक्त नियमों में नियम 33 में उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(4) कर्मचारी इन नियमों के अधीन उपलब्ध लाभों के लिये तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि उसकी अंशदायी भविष्य निधि में नियोजक का हिस्सा ब्याज सहित सम्बद्ध लेखा शीर्ष में अन्तरित नहीं कर दिया जाये ।"।

पी० के० चौधरी,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़ ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 24th January, 2001

No. G.S.R.2/H.A.15/1979/Ss.4, 5 & 16/2001.—Whereas the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1979 (Act 15 of 1979) and rules made thereunder envisage a contributory provident fund to which both the employer and the employees of the privately managed, Government aided educational institutions are required to contribute in the prescribed ratio. The employees appointed against aided sanctioned posts of the privately managed aided colleges on their superannuation are eligible, under rules 23 and 24 of the rule *ibid*, for payment of amount so deposited in the contributory provident fund along with the interest earned thereon besides the gratuity at the rate as fixed by the Government from time to time. There is presently no provision for grant of pension to the retiring employees of these institutions under the Act/rules *ibid*;

And whereas the employees appointed against aided sanctioned posts of privately managed, Government aided educational institutions have been representing to the Government for introduction of a pension scheme for them so that they could get improved retrial benefits ;

And whereas the Government has been sympathetic to the aspirations of the employees appointed against aided sanctioned posts of the aided private institutions while being concious of the fact that there cannot be partity between employees of Government educational institutions and the employees appointed against aided sanctioned posts of the privately managed aided institutions of the State. Employees appointed against aided sanctioned posts of the aided private institutions are governed by a set of service conditions which are distinct from those governing the Government employees. Their posts are nno-transferable and they retire at the age of 60 years whereas it is 58 years for Government employees who are subject to transfer throughout the State ;

And whereas the employer in the case of aided private educational institutions is distinctly different from the employer in the case of Government Educational Institutions. In case of the former, the managements are separate, independent legal entities, taking independent decisions in respect of their respective institutions. The Government plays only limited and yet facilitating role by releasing them grant-in-aid to the extent of 95% of the deficit against sanctioned posts only. The sole objective behind the grant-in-aid by the Government for a limited numbers of posts is to promote expansion of education in the state of Haryana without interfering with the day-to-day management and running of these private institutions ;

And whereas the Government is not obvious to the fact that there is no obligation placed on the Government to necessarily introduce a pension scheme for employees appointed against aided sanctioned posts of private institutions, receiving grant-in-aid. However, driven by a desire to improve the existing service conditions of the employees appointed against aided sanctioned posts working in the privately managed Government aided educational institutions, the Government has decided to provide additional grant-in-aid for the purpose of a special pension scheme for them which is different from the one applicable to Government employees but which at the same time results in improved retiral benefits to them. The Government is clearly not in a position to take on and sustain unlimited financial liability on account of introduction of a pension scheme for the employees appointed against aided sanctioned posts of the private institutions receiving grant-in-aid, . It is, therefore, desirous of assisting and supporting a scheme specific to the employees appointed against aided sanctioned posts of these from all institutions, which would enable such employees to enjoy substantially improved benefits after retirement without causing a staggering financial liability on the part of the State Government. In fact at the time when the demand for a pension scheme was made to the Government was given to understand by the repsresentative bodies of the employees etc. that a pension scheme specific to the employees appointed against aided sanctioned posts of the private institutions receiving grant-in-aid could be framed on a self-sustainable/self-financing basis without any additional liability on the part of the State Government. The associations had contended that the employers share available in the Contributory Provident Fund is quite sufficient to meet all future demands created through the introduction of such a pension scheme. The Government has examined this aspect and is aware that the contention of the association may not be fully tenable. The introduction of a special scheme of pension for the employees appointed against aided sanctioned posts of the privately managed Government aided educational institutions of Haryana in lieu of the contributory provident fund (employer's share) might actually entail additional financial liability on the part of the Government. However, the Government is keen to keep the financial liabilities, if any, be this account to the minimum. The Government is also keen to evolve, in due course of time, a scheme whereby the returns funds on account of employer's share of Contributory Provident Fund are maximum in such a way as to wholly and completely pay for the retiral benefits to the eligible employees;

The two major distinctions envisaged under this special pension scheme pertain to the benefit of commutation of pension and leave encashments. It has been agreed by the different representative bodies of the employees concerned that the benefit of commutation of pension and leave encashment may not be made available to them as these two benefits, if granted could result in a staggering

financial liability on the part of the State Government which it can ill afford. The Government,, tterefore, hereby as a special gesture, frames this special pension scheme for the employees appointed against aided sanctioned posts of private colleges receiving grant in aid from the Government of Haryana subject to the condition that the benefits of commutation of pension and leave encashment shd not be available under this scheme. This scheme is distinct from any other scheme which may be in existence in any other Government/semi-Government organization within or outside the State of Haryana. The Government also reserve the right to review or modify the scheme depending on the State of Finance of the Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 16 and section 4 and 5 of the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1979 (Act 15 of 1979) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Affiliated colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 1999, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Affilliated Colleges. (Pension and Contributory Provident Fund) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 11th day of May, 1998.

2. In the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 1999 (hereinafter called the said rules) in rule 2,—

A. the existing clause (a) shall be re-numbered as clause (aa) and before clause (aa) so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely:—

'(a) "aided college" means the college receiving grant-in-aid against duly sanctioned posts from the Higher Education Department, Haryana'. ;

B. Clause (f) shall be omitted ;

C. In clause (i), for the word "including", the word "excluding" shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 4 the following rule shall be substituted, namely:—

4. "Liability to refund amount of employees share. Section 4 and 16,—

Such of those employees retiring from the 11th day of May, 1998 to the date of publication of these rules in the Official Gazette, who exercise option to be governed by these rules, will be required to deposit the full amount of employer's share alongwith interest on such share actually drawn by the employee at the time of retirement *plus* 12% interest per annum on this amount to be calculated from the date of drawl of said amount to the date of deposit with Government.".

4. In the said rules, in rule 6,—

(i) For clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) the service rendered upto the attainment of superannuation age of sixty years;";

(iii) for clause (iv), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(iv) Service rendered in one or more private affiliated colleges, receiving grant-in-aid under the same management ;

(v) Service rendered on aided sanctioned post in any aided college in the State of Haryana :

Provided that the official has been appointed through proper channel on aided sanctioned post and the approval of continuity of service has been obtained from the Director :

Provided further that the Contributory Provident Fund account of the employee in the previous college continued as such in the subsequent college to which he is transferred or appointed and there is no break in service or the service condition as modified by the Government from time to time.".

5. In the said rules, in rule 9,—

(i) for sub rules (1) and (2), the following sub-rule shall be substituted namely:—

"(i) All employees shall be entitled to the superannuation pension from the date they attain the age of sixty years. ;

(ii) sub-rule (3) shall be renumbered as sub-rule (2).".

6. In the said rules, in rule 14, (i) in clause (i), for the first para, the following para shall be substituted, namely:—

"In the event of death of an employee while in service, the gratuity shall be subject to the following at the time of his/her death :—

below one year service—two time last pay drawn ;

exceeding one year but not exceeding five years—six times.
exceeding five years but not exceeding twenty-four years—twelve times.

exceeding twenty-four years—DCRG will be determined on the basis of actual service rendered by the deceased.";

(ii) after clause (v), the following clause and explanation thereunder shall be added at the end, namely:—

"(vi) 95% of the amount of gratuity is to be borne by the Government and 5% by the management as per existing instructions. The management shall pay the total amount of gratuity to the retiree on the basis of letter of authority issued by the Director and claim 95% of the said amount from the Government.

Explanation:—The term "emoluments" for this purpose includes pay+Dearness Allowance.".

7. In the said rules, in rule 15, in sub-rule (3), in para (2), the word "not" shall be omitted.

8. In the said rules, in rule 16, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) "The employees share of Contributory Provident Fund will be maintained by the Principal of the College as per existing policy and instructions issued by the Director.".

9. In the said rules, in rule 17, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The employer's share of Contributory Provident Fund alongwith interest earned per annum would be transferred to the Director.".

10. In the said rules, for rule 18, the following rule shall be substituted, namely:—

"18 Maintenance of Head of Account section 4 and 16.—

(1) The employer share shall be desposited under the Head "0071—Contribution and Recoveries towards pension and other retirement benefits-01-Civil-101—subscription and contributions. Employer share of Contributory Provident Fund of Aided Colleges."

(2) The Head of Account as specified in sub-rule (1) shall comprise :—

(a) the amount of employers share including that of Government share given in the shape of grant-in-aid up to the date of enforcement of these rules lying in the Contributory Provident Fund Account;

(b) five per cent of the employers share towards Contributory Provident Fund contributed on or after the date of enforcement of these rules ;

(c) ninety-five per cent amount of the Government share towards the Contributory Provident Fund being paid as grant-in-aid to the affiliated aided colleges on or before the date of enforcement of these rules;

(d) the amount of interest accrued on the amounts specified above ;

(e) any other amount as may be specifically paid by the Government towards this Head of Accounts ;".

(3) The Government shall make suitable provision in the annual budget, under the Head "2202-General Education-03 University and other Higher Education-104—Assistance to Non-Government Colleges and Institutions Retiral Benefits", for making payments of pension to retirees.

(4) The credit to the head of account shall be made as under :—

Five per cent of the ten per cent of the pay of the employee towards the Contributory Provident Fund payable by the management shall also be deducted from the grant-in-aid sanctioned to the private affiliated colleges for crediting the same to the head of account so that no amount remains pending for recovery from the management.

(5) For the purpose of sub-rule (4) the share of contributory provident fund of the management towards the retirement benefits under these rules in respect of each employee shall be deducted from the grant-in-aid.".

11. In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely :—

"20. Establishment of a cell. Section 4 & 16,—

(1) A fulfledged separate cell shall be established in the office of the Director which shall maintain the complete accounts pertaining to these rules and also collegewise amount of collection.

(2) The credit to the account shall be reconciled in the office of Accountant General, Haryana, monthly so that no discrepancies arise in the accounts.".

12. In the said rules, in rule 21, sub-rule (2) shall be omitted.

13. In the said rules, for rules 22, 23, 24 and 25 the following rules shall be substituted, namely :—

"22 Mode of payment of pension. Section 4 & 16,—

The payment under these rules shall be made by the department through management on the basis of Pension Payment Order and the authority letter issued by the Director.

23 Mode of payment to retiree. Section 4 & 16,—

The payment of pension/family pension to the retiree/family of the deceased employee shall be through the department/management on the basis of Pension Payment Order.The procedure for making payment of pension/family pension will be the same as is being adopted for making payment of salary to the staff of aided colleges. Other retirement benefits admissible under these rules shall be paid by the Principal of the College concerned to the retiree/family of the deceased employee after the same is sanctioned by the Director and a copy of the sanction so made shall be conveyed to the Accountant General, Haryana (Accounts and Entitlement) and the concerned retiree/family of the deceased employee with a copy to the Principal of the College for making payment through Bank Draft accordingly.

24 Head of account of expenditure. Section 4,—

All paymets under these rules shall be made under the expenditure Head "2202—General-Education-03-University and other Higher Education-104-Assistance to Non-Government Colleges and institutions retiral benefits.

25 Head of account of debit expenditure. Section 4 & 16,—

The amount of payment made under Head "2202—General Education-03-University and other Higher Education-104- Assistance to Non-Government Colleges and institutions retiral benefits." Under separate sub-head against each retirement benefit actually debited and reconciled in the office of the Accountant General (Accounts and entitlement).".

14. In the said rules, 27 and 28 shall be omitted.

15. In the said rules, for rule 29, the following rule shall be substituted, namely :—

"29 Application for final payment. Section 4 & 16,—

The application for final payment will be made to the Director who will order the release of final payment.".

16. In the said rules, in rule 33, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The employees shall not be entitled for the benefits available under these rules until the transfer of the employer's share of his Contributory Provident Fund along with interest to relevant head of account.".

P. K. CHAUDHARY,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Education Department, Chandigarh.